

2018/00126
फर्द अहकाम

पद्मलाल बनाम जगदीश

नाम न्यायालय

केस संख्या 104/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	1-8-19	<p>पद्मलाली पेवा हुई। वकील वादी को बार-बार आवाज लगावाई गई। कोर्ट भी उपस्थित नहीं। वादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वादी का वाद अदम पैश्वी। अदम टाजिरी में खारिज किया जाता है। पद्मलाली पैशाल सुमाट देकर दर्ज शिखर से कम है। तथा वाद प्रति दाखिल दफ्तर है</p> <p>सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (विशेष ट्रेक) जयपुर</p>	

Scanned by CamScanner

